मूल हिन्दी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 1844
10 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए

भू-संपदा क्षेत्र में हितधारकों के लिए सुरक्षा

1844 # **श्री सतीश चंद्र दुबे**:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भू-संपदा उद्योग में सभी घर खरीददारों और हितधारकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए कोई परामर्शिका जारी की गई है या कुछ उपायों को अपनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख) केन्द्र सरकार ने आवास खरीददारों के हितों की रक्षा करने के लिए मई, 2016 में एक नए विधेयक भू-संपदा (विनियमन एवं विकास अधिनियम) [रेरा] को अधिनियमित किया है।

वैश्विक महामारी कोविड-19 (कोरोना वायरस) के कारण पैदा हुई स्थिति के मद्देनजर, मजदूरों द्वारा वापस पलायन किए जाने और निर्माण सामग्री आपूर्ति का क्रम टूटने से देश भर में भू-संपदा परियोजनाओं की निर्माण कार्यविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के अंतर्गत, आवास खरीददारों सहित सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और उनके भू-संपदा विनियामक प्राधिकारियों को कोविड-19 महामारी को अप्रत्याशित घटना मानने तथा भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2016) [रेरा] के तहत पंजीकृत सभी परियोजनाओं की पंजीकरण/पूर्ण होने की तारीख 6 महीनों की अवधि के लिए स्वत: ही बढ़ाए जाने, जहाँ पूर्ण होने की तारीख 25 मार्च, 2020 को या उसके बाद समाप्त होती है तथा 3 महीनों के लिए आगे और विस्तारण की अनुमति देने, यदि स्थिति ऐसा करने के लिए विवश करती है, के कारणों को लिखित रूप से अभिलेखित किए जाने और साथ ही भू-संपदा से संबंधित अन्य सांविधिक अनुपालनों, जैसे कि रेरा के प्रावधानों और उनके अधीन नियमों और विनियमों के तहत बुक किए गए अपार्टमेंटस या भू-खंडों और गैरेज संबंधी विवरणों की तिमाही फाइलिंग, लिए गए अनुमोदन की सूची, परियोजना की स्थिति इत्यादि, की समय-सीमा का एक साथ विस्तार करने के लिए परामर्शिका जारी की है।
